



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 663]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 898(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (बाईसवां संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 9क की सारणी के क्रम संख्या (1) से (5) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

(1)	पांच लाख रुपये तक	शून्य
(2)	पांच लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये से कम	200/- रुपये
(3)	10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 20 लाख रुपये से अनधिक	400/- रुपये

[फा. सं. जे-10(2)/2018-सी.पी.यू.]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 398 (अ) तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 249 (अ) तारीख 01.04.2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AND AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2018

G.S.R. 898(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 30 of the Consumer Protection Act, 1986(68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (twenty second Amendment) Rules, 2018
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Consumer Protection Rules, 1987, in rule 9A, in the table for serial numbers (1) to (5) and the and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:

(1)	Up to five lakh rupees	NIL
(2)	Above five lakh and less than 10 lakh	Rs. 200
(3)	Rs. 10 lakh and above but not exceeding Rs. 20 lakh	Rs. 400

[F. No. J-10 (2)/2018-CPU]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 398(E), dated the 15th April, 1987 and was last amended *vide* number G.S.R. 249(E), dated 01.04.2015.